Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **नगर निगम जयपुर के कनिष्ठ अभियंता 80 हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार, निर्माण कार्य नहीं रुकवाने की एवज में मांगी थी 2 लाख रुपये की रिश्वत।**

जयपुर, दिनांक 29 जून, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी एस.यू.–प्रथम, जयपुर द्वारा आज कार्यवाही करते हुए आरोपी **संजय कुमार बैरवा, कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय उपायुक्त, सिविल लाइन जोन, नगर निगम जयपुर** को 80,000/– रुपये रिश्वत राशि प्राप्त करने पर गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी एस.यू.–प्रथम, जयपुर को परिवादी द्वारा एक शिकायत प्रस्तुत की गई थी कि परिवादी द्वारा अपने पुराने क्षतिग्रस्त मकान को ध्वस्त कर नया मकान निर्माण हेतु नगर निगम, सिविल लाइन जोन में भवन निर्माण स्वीकृति के लिए आवेदन किया गया था। लगभग चार माह बाद मकान की सील खोली गई तथा परिवादी को बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर एवं प्रथम तल के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो गई। इसके बावजूद दिनांक 03.06.2026 को आरोपी संजय कुमार बैरवा, कनिष्ठ अभियंता एवं दीनदयाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी निर्माणाधीन मकान पर पहुंचे तथा मकान को पुनः सील करने, गार्ड बैठाने एवं निर्माण कार्य रुकवाने की धमकी दी। आरोपी संजय कुमार बैरवा द्वारा मकान को सील नहीं करने एवं निर्माण कार्य निर्बाध रूप से जारी रखने की एवज में स्वयं एवं तत्कालीन उपायुक्त (डी.सी.) सुनील बैरवा के नाम पर 2,00,000/– रुपये रिश्वत राशि की मांग कर परिवादी को परेशान किया जा रहा था।

जिस पर शिकायत का गोपनीय सत्यापन कराया गया। दिनांक 04.06.2026 को मांग सत्यापन के दौरान आरोपी संजय कुमार बैरवा द्वारा 1,00,000/– रुपये रिश्वत राशि की मांग की पुष्टि हुई तथा उसके कहने पर आरोपी दीनदयाल, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा 20,000/– रुपये रिश्वत राशि प्राप्त की गई।

आगे की कार्यवाही में सह–परिवादी से आरोपी संजय कुमार बैरवा द्वारा उसके पिता के मकान को सील नहीं करने, सील खुलवाने एवं निर्माण कार्य निर्बाध रूप से जारी रखने की एवज में शेष रिश्वत राशि की मांग की गई।

जिस पर एसीबी के **उप महानिरीक्षक पुलिस–प्रथम डॉ. रामेश्वर सिंह** के सुपरविजन में **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री प्रशान्त कौशिक** के नेतृत्व में **पुलिस निरीक्षक श्रीमती अर्चना मीणा** द्वारा ट्रैप कार्यवाही को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया।

आज ए.सी.बी. ट्रैप दल द्वारा कार्रवाई की गई जिसमें आरोपी संजय कुमार बैरवा ने अपनी मारुति फॉक्स कार (रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ-60-CH-1901) का लॉक खोलकर सह–परिवादी से 80,000/– रुपये रिश्वत राशि गाड़ी के गियर के पास स्थित डैशबोर्ड में रखवाई तथा गाड़ी को लॉक कर लिया। ट्रैप कार्यवाही के दौरान उक्त डैशबोर्ड से 80,000/– रुपये रिश्वत राशि बरामद की गई। डैशबोर्ड के धौवन का रंग गुलाबी पाया गया तथा आरोपी के कब्जे से उसके पर्स में 27,400/– रुपये की संदिग्ध नकद राशि भी बरामद हुई। प्रथम दृष्टया आरोपी के पास परिवादी का कार्य लंबित होना पाया गया।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव एवं महानिरीक्षक श्रीमती एस. परिमला** के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ एवं अग्रिम कार्यवाही जारी है,ए.सी.बी. द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टोल फ्री **हेल्पलाइन नम्बर 1064** एवं **व्हाट्सएप हेल्पलाइन नम्बर 9413502834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।